न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 34/2024

प्रार्थी : –

राजस्थान राज्य जरिए विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री रता पुत्र श्री धनाजी निवासी वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. सहायक विकास अधिकारी सिरोही, जिला परिषद सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 550.71 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 550.71 वर्गफीट का नियम 157(2) राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत वासडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में निःशुल्क विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 27.06.2017 के प्रस्ताव संख्या 02(16) लिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत से प्राप्त सूचना अनुसार अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा बिना किसी विधिक कार्यवाही यथा भूमि विक्रय पत्रावली संधारित किए बिना ही जारी कर दिया गया, जबकि ऐसे किसी विक्रय विलेख जारी करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विहित प्रक्रिया अपना कर पत्रावली संधारित करने के पश्चात ही पट्टा जारी किया जाता है। इस प्रकार सरपंच एवं सचिव द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध एवं दोषपूर्ण है। यह है कि ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा किसी प्रकार की आवेदन एवं मौका नक्शा के शुल्क की राशि पंचायत कोष में जमा नहीं करवाई गई है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय नियमानुसार पत्रावली संधारित नहीं की गई है, जिससे प्रक्रियात्मक त्रुटि की विस्तृत विवेचना नहीं की

जिला कलेक्टर, सिरोही

जा सकी। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टे को विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो का जबाव देने का अवसर बन्द किया गया। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 550.71 वर्गफीट ग्राम पंचायत वासडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत वासडा द्वारा दिनांक 27.06.2017 को प्रस्ताव संख्या 02(16) पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में बिना किसी विधिक कार्यवाही यथा भूमि विक्रय पत्रावली संधारित किए बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि ऐसे किसी विक्रय विलेख जारी करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रक्रिया अपना कर पत्रावली संधारित करने के पश्चात ही पट्टा जारी किया जाता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सम्पन्न की गई है और उक्त विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रक्रिया की पालना किए जाने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही था और ग्राम पंचायत वासडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रक्रिया नियम 145 से 149 की पालना नहीं किया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना पाया जाता है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में

जिला कलेक्टर, सिरोही

यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत वासडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी करते समय नियमानुसार पत्रावली का संधारण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पट्टा जारी करने से सम्बन्धित पत्रावली संधारण करने का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है और ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली का संधारण नहीं किए जाने के कारण पट्टे को निरस्त करना पट्टाधारक के सुखाधिकारों का हनन होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत महिला मुखिया के नाम से पट्टा जारी किए जाने का प्रावधान है, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत वासडा द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या दो (पुरूष) के हक में जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत वासडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 550.71 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वासडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नियमानुसार नए सिरे से पुनः पट्टा जारी करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही